

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सीता कान्त झा
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

सेवा में,

प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/नगर विकास विभाग/मानव संसाधन विकास विभाग/कल्याण विभाग/पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, प्रबंध निदेशक, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची, प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुददेशीय परियोजना जमशेदपुर/सभी मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित) मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष परिक्षेत्र, राँची।

राँची/दिनांक :-

विषय:-विभागीय आदेश झापांक सं०-4518 दिनांक 31.08.2012 द्वारा स्थानान्तरित/पदस्थापित कनीय अभियंताओं को तीन दिनों के अन्दर विरमित करने के संबंध में।

प्रसंग:-विभागीय पत्रांक-6684 दिनांक 23.11.12, 6859 दिनांक 30.11.12 एवं 7132 दिनांक 13.12.12

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि विषयगत मामले से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन अब तक विभाग में अप्राप्त है।

अतः पुनः प्रपत्र संलग्न करते हुए अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में तीन दिनों के अन्दर निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

अनु:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

dy. M
20/12/12
(सीता कान्त झा)
संयुक्त सचिव (प्र०)
20/12/12

झापांक 7351 राँची, दिनांक :- 21.12.12

प्रतिलिपि:- विभागान्तर्गत सभी अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

अनु:-यथोक्त।

dy. M
20/12/12
(सीता कान्त झा)
संयुक्त सचिव (प्र०)
20/12/12

झापांक 7351 राँची, दिनांक :- 21.12.12

प्रतिलिपि:- यब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अनु:-यथोक्त।

dy. M
20/12/12
(सीता कान्त झा)
संयुक्त सचिव (प्र०)
20/12/12

प्रतिपक्ष की तिथि-03.11.2012

[illegible]

2112

1. परिक्षेत्र को कनीय अभियन्ता की सेवा प्राप्त—(संख्या)—
कनीय अभियन्ता द्वारा योगदान समर्पित—(संख्या)—
क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित—(संख्या)—
क्षेत्रीय कार्यालय में योगदान समर्पित—(संख्या)—
2. परिक्षेत्र से बाहर कनीय अभियन्ताओं की सेवा दी गई—(संख्या)—
प्रभार सौंपकर विरमित—(संख्या)—
विरमित नहीं—(संख्या)—

[illegible]